

पक्षी :- श्री अरुणात्म

वनाम

विपक्षी :- श्री शंकर सिंह

सु.न. :- 55/2023 रा.वा.

धारा :- 88, 188 R.T.A.

17/12/2024

पत्रावली भाज दिनांक को सीजे से लकठ
 लेकर पेश हुई। वकील वादी एवं वादी सं. 12
 उपास्थित जिन्हेने पार्शना - पत्र 023R1(3)
 जा. दि. का पेश कर निवेदन किया कि
 वादीगण राजस्व जमावन्दी में अंकित
 अन्य सदस्यालेदरो को पक्षकार बनाकर
 नये वाद को अन्तर्लि धारा - 53, 188 में
 पेश करेंगे अतः शीमान से निवेदन है
 कि वादीगण का उक्त पार्शना 023R1(3)
 जा. दि. स्वीकार कर पुनः वाद पेश करने
 के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त
 पक्षकार में कार्यवाही रूपा किया जाना पक्षकार
 वादी का पार्शना - पत्र स्वीकार कर वादीगण
 के निवेदन पर पक्षकार इसी स्तर पर खारिज
 किया जाता है।

विजय राम जे. श्री
अमानुज पेशी

इससे
 श्रेष्ठ की शेर से
 जारिये अधिकार
 [Signature]

पत्रावली फैसल शुमार लेकर दाखिल
 दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर
 जिला सलूमबर